क्षेत्रीय कार्यालय
उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड
मथुरा

पत्रांकः 502/ओ-47/2020 दिनांकः 12-9-2020

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0–588/2018 हेम सिंह योग सामाजिक कार्यकर्ता पं0 दीन दयाल उपाध्याय विचार मंच बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 14.07.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0–588/2018 हेम सिंह योग सामाजिक कार्यकर्ता पं0 दीन दयाल उपाध्याय विचार मंच बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 14.07.2020 के अनुपालन में कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), मथुरा के पत्र सं0–202/अ0जि0अ0(प्र0)–एस0टी0/2020 दिनांक 24.07.2020 द्वारा नगर निगम व ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत नगला कोल्हू के निकट क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत अनियमित ढंग से कूडे कचरे आदि का निस्तारण किये जाने प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण करने हेतु निम्नवत समिति का गठन किया गया है–

1. नगर आयुक्त, मथुरा–वृन्दावन नगर निगम, मथुरा।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मथुरा।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।

उक्त गठित समिति द्वारा दिनांक 29.07.2020 को नगर निगम, एम0एस0डब्लू0 डम्पिंग ग्राउण्ड, नगला कोल्हू, लक्ष्मी नगर के प्रतिनिधि श्री सत्येन्द्र कुमार तिवारी, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन, मथुरा के साथ संयुक्त रूप से ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत नगला कोल्हू के निकट क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत अनियमित ढंग से कूडे कचरे आदि का निस्तारण किये जाने प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय लिये गये फोटो ग्राफ्स एवं विस्तृत निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (केन्द्रीय प्रयोगशाला), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।

कार्यालय जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक सं0–953/सोलह–बी/टीएससी–एनजीटी/2020–21 दिनांक 23.07.2020 में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0–588/2019 हेम सिंह योग सामाजिक कार्यकर्ता पं0 दीनदयाल उपाध्याय विचार मंच बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 14.07.20 के अनुपालन में दिये गये निर्देशों के आदेशानुपालन में एम0एस0डब्लू डम्पिंग ग्राउण्ड नगला कोल्हू, लक्ष्मी नगर, मथुरा का निरीक्षण/सर्वेक्षण हेतु कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), मथुरा के पत्र सं0–202/अ0जि0अ0(प्र0)–एस0टी0/2020 दिनांक 24.07.2020 द्वारा समिति का गठन किया गया। उक्त समिति द्वारा दिनांक 29.07.2020 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नगर निगम, एम0एस0डब्लू डम्पिंग ग्राउण्ड नगला कोल्हू, लक्ष्मी नगर के प्रतिनिधि श्री सत्येन्द्रकुमार तिवारी, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या पत्रावली में संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0प्र0नि0बोर्ड,
मथुरा।

(सतीश कुमार त्रिपाठी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,(प्रशासन),
मथुरा

रवीन्द्र मांदड़
नगर आयुक्त,
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन
मथुरा

D.M.
11/9/2020

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा

पत्रांकः 501 / ओ-47/2020 दिनांक 12-9-2020

सेवा में,

स्थाई अधिवक्ता,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

विषय—**मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0—588/2018 हेम सिंह योग सामाजिक कार्यकर्ता पं0 दीन दयाल उपाध्याय विचार मंच बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 14.07.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0—588/2018 हेम सिंह योग सामाजिक कार्यकर्ता पं0 दीन दयाल उपाध्याय विचार मंच बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 14.07.2020 के अनुपालन में निम्नवत समिति का गठन किया गया है—

1. नगर आयुक्त, मथुरा—वृन्दावन नगर निगम, मथुरा।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मथुरा।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।

उक्त गठित समिति द्वारा दिनांक 29.07.2020 को नगर निगम, एम0एस0डब्लू0 डम्पिंग ग्राउण्ड, नगला कोल्हू, लक्ष्मी नगर के प्रतिनिधि श्री सत्येन्द्र कुमार तिवारी, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा—वृन्दावन, मथुरा के साथ संयुक्त रूप से ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत नगला कोल्हू के निकट क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत अनियमित ढंग से कूडे कचरे आदि का निस्तारण किये जाने प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या एवं फोटो ग्राफ्स आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(सर्वज्ञ राम मिश्र)
जिलाधिकारी
मथुरा।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–588 / 2018 हेम सिंह योग सामाजिक कार्यकर्ता पं0 दीनदयाल उपाध्याय विचार मंच बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 14.07.2020 के अनुपालन में नगला कोल्हू के निकट सॉलिड वेस्ट डम्पिंग ग्राउण्ड के स्थलीय निरीक्षण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, मथुरा द्वारा नामित समिति के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण / सर्वेक्षण की आख्या :–

उपरोक्त संदर्भित विषय के सम्बन्ध में कार्यालय जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक सं0–953 / सोलह–बी / टीएससी–एनजीटी / 2020–21 दिनांक 23.07.2020 के आदेशानुपालन में एम0एस0डब्लू डम्पिंग ग्राउण्ड नगला कोल्हू, लक्ष्मी नगर, मथुरा का निरीक्षण / सर्वेक्षण हेतु समिति का गठन किया गया। उक्त समिति द्वारा दिनांक 29.07.2020 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नगर निगम, एम0एस0डब्लू डम्पिंग ग्राउण्ड नगला कोल्हू, लक्ष्मी नगर के प्रतिनिधि श्री सत्येन्द्रकुमार तिवारी, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नलिखित हैः–

1. नगर पालिका परिषद / नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन क्षेत्र से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु उ0प्र0 जल निगम द्वारा पूर्व में प्रस्तावित स्थल (निकट एस0टी0पी0, बल्देव रोड, तहसील व जनपद–मथुरा) पर लैण्डफिल साइट एवं कम्पोस्टिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु जिलाधिकारी महोदय, मथुरा के मीटिंग हाल में दिनांक 11.11.2008 को अपरान्ह 2.00 बजे लोक सुनवाई सम्पन्न हुई थी। पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी लोक सुनवाई की कार्यवृत्ति को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिकृत संस्था सिया (SEIAA) ने अपने सन्दर्भ संख्या–438/SEAC/208/2008 दिनांक 20.03.2009 द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के लैण्डफिल व कम्पोस्टिंग प्लांट हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गयी (संलग्न–01)।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात मैसर्स मथुरा नगर वेस्ट प्रोसेसिंग कम्पनी द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट से बायो कम्पोस्टिंग तैयार करने के उद्देश्य से संयन्त्र के स्थापनार्थ पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टिकोंण से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु दिनांक 08.08.2012 को बोर्ड में आवेदन किया गया, जिसके परीक्षणोपरान्त बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एफ 21528 / सी–4 / एन0ओ0सी0–675 / 13 दिनांक 03.04.2013 द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया (संलग्न–02)।
3. संस्था द्वारा प्लान्ट के संचालनार्थ सहमति (जल / वायु) हेतु आवेदन किया गया जिसका निरीक्षण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा दिनांक 12.02.2014 को किया गया तथा प्लांट निरीक्षण के दौरान संचालित पाया गया। किन्तु संस्था द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति व सशर्त सहमति प्रमाण पत्र में निहित शर्तों का समुचित अनुपालन न किये जाने व बोर्ड द्वारा वॉछित सूचना उपलब्ध न कराये जाने के कारण बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 24.07.14 द्वारा क्रमशः सहमति (वायु) एवं सहमति (जल) अस्वीकृत कर दिया गया तत्पश्चात बोर्ड के द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.18 व दिनांक 21.11.14 का सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने के कारण उद्योग द्वारा जमा की गयी रू0–10 लाख की बैंक गारन्टी बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 12.03.15 द्वारा जब्त की जा चुकी है।
4. नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण हेतु परिसर के अन्दर 22 एकड़ भूमि तथा प्लान्ट की स्थापना व बायो कम्पोस्टिंग हेतु 05 एकड़ भूमि आवंटित है इस प्रकार नगरीय ठोस अपशिष्ट हेतु कुल 27 एकड़ भूमि आरक्षित है।
5. उपरोक्त वर्णित समयावधि जिस दौरान बायो कम्पोस्टिंग का प्लान्ट संचालित नही हो रहा, उस दौरान पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद मथुरा द्वारा, मथुरा क्षेत्र से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट को परिसर के अन्दर बिना किसी शुद्धिकरण के भण्डारित किया गया। भण्डारित नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा वर्तमान में नगर निगम प्रतिनिधि के अनुसार लगभग 1.80 लाख मीट्रिक टन है जिसके शुद्धिकरण / निस्तारण हेतु नगर निगम द्वारा उ0प्र0 शासन नगर विकास विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके क्रम में उ0प्र0 शासन नगर विकास

विभाग द्वारा लिगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु टैन्डर प्रक्रिया पूर्ण कर एजेंसी का चयन किया जा रहा है। (संलग्न–03)।

6. वर्तमान में नगर निगम के मथुरा क्षेत्र से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के शुद्धिकरण व बायो कम्पोस्टिंग हेतु स्थापित प्लांट को नवम्बर 2017 में पुनः कियाशील किया गया। जिसमें उक्त समय के बाद निस्तारण का कार्य एस0बी0एम0 इन्फ्रास्टेट प्रा0 लि0 द्वारा कराया जा रहा था परन्तु कार्य संताषजनक न होने के कारण कम्पनी का अनुबन्ध दिनांक 27.07.2020 को निरस्त कर दिया गया है। प्लांट के मरम्मत का कार्य 14 वे वित्त की धनराशि रू0 20.98 लाख की लागत से पूर्ण कराया गया एवं प्लांट का संचालन नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है। (संलग्न–04)।
7. नगर निगम क्षेत्र से जनित होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट के वास्तविक मात्रा के अभिलेख सम्बन्ध में लॉग–बुक इत्यादि को मेन्टेन करने के लिए निर्देशित किया गया है। नगर निगम द्वारा प्लांट पर लीचेट कलैक्शन टैंक की मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। प्लांट के चारों ओर बाउन्ड्रीबाल का निर्माण कार्य एवं वृक्षारोपण (ग्रीन कवर) का कार्य पूर्ण करा दिया गया है।
8. अन्य पदार्थों जैसे–कागज/प्लास्टिक/मेटल/कॉच इत्यादि के पृथक्कीकरण का कार्य हेतु नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि मै0 21st **century polymer** को मैटेरियल रिक्वरी फैसेलिटी एवं रिसाइकिलिंग यूनिट की स्थापना हेतु कार्यादेश जारी किया गया है। (संलग्न–05)।

निरीक्षण के दौरान नगरीय ठोस अपशिष्ट के लैण्ड साइट एवं बायो कम्पोस्टिंग प्लांट स्थल के निकट निर्माणाधीन प्लास्टिक कचरे से फ्यूल बनाने वाली इकाई मै0 पैटर्सन एनर्जी प्रा0लि0, खसरा नं0–77, 78 व 80 भूमि राजस्व ग्राम–शाहजादपुर, टप्पा–सोनई, ट्रान्स यमुना, लक्ष्मी नगर, मथुरा का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग में तकनीकि खराबी होने के कारण उद्योग बन्द पाया गया। उद्योग को सहमति (जल/वायु) निर्गत की गयी है। कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग को टी0टी0जैड0 प्राधिकरण, आगरा की 39वीं बैठक दिनांक 05.12.2017 के कार्यवृत्त के मुख्य एजेण्डा बिन्दु–3 (05.12.17) में प्लान्ट की स्थापना टी0टी0जैड0 प्राधिकरण से सशर्त अनापत्ति/क्लियरेन्श प्रदान किये जाने के पश्चात उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा के पत्र सं0–1235/एन0ओ0सी0–1109/17 दिनांक 20.12.17 द्वारा प्लास्टिक वेस्ट (5.0 मीट्रिक टन प्रतिदिन) से फ्यूल आयल, कार्बन ब्लैक व हाइड्रो कार्बन गैस के उत्पादन किये जाने के लिए प्लान्ट के स्थापनार्थ सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

निरीक्षण के समय परिवेशीय वायु गुणवत्ता का भी अनुश्रवण किया गया। वायु गुणवत्ता के अनुश्रवण के उपरान्त एकत्रित नमूनों को विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा की प्रयोगशाला में जमा कराया गया।

निरीक्षण के समय एम0एस0डब्लू डम्पिंग ग्राउण्ड नगला कोल्हू, लक्ष्मी नगर, मथुरा की कार्यकारी संस्था के प्रतिनिधि को उक्त डम्पिंग ग्राउण्ड पर किये जा रहे नगरीय ठोस अपशिष्ट के शुद्धिकरण/बायो कम्पोस्टिंग के कार्य को नियमानुसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(अरविन्द कुमार) क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0प्र0नि0बोर्ड, मथुरा।	(सतीश कुमार त्रिपाठी) अपर जिला मजिस्ट्रेट,(प्रशासन), मथुरा	(रवीन्द्र कुमार मांदड़) नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा–वृन्दावन मथुरा

1. **फर्मों के मध्य साइट का निर्धारण– (क)** चूँकि निविदा में न्यूनतम निविदादाता एल0–1 के रूप में मै0 मुस्कान ज्योति समिति, लखनऊ है और उनके प्रतिनिधि द्वारा अपनी वरीयता में लखनऊ तथा कानपुर नगर के लिगेसी वेस्ट साइट को बताया गया। अतएव, मै0 मुस्कान ज्योति समिति, लखनऊ को तद्नुसार लखनऊ एवं कानपुर नगर आवंटित किया जाए।

(ख) प्रयागराज नगर हेतु मै0 हरीभरी द्वारा कार्य किये जाने की इच्छा जतायी गयी। साथ ही प्रयागराज में पूर्व से मै0 हरीभरी द्वारा सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग का कार्य किया जा रहा है। अतः नगर निगम, प्रयागराज का कार्य मै0 हरीभरी को ही दिया जाए।

(ग) बरेली नगर निगम के संबंध में नगर आयुक्त बरेली द्वारा स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत उक्त परियोजना हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है। अतएव, वर्तमान में उक्त विषयगत कार्यवाही हेतु किसी संस्था को नामित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

इसी प्रकार मुरादाबाद नगर निगम में भी स्थानीय स्तर पर नगर निगम द्वारा उपरोक्त कार्य आरम्भ कर दिया गया है। अतएव, यहां भी किसी अन्य फर्म को उक्त कार्य हेतु प्रस्तावित किये जाने का औचित्त नहीं पाया गया।

(घ) नगर पालिका परिषद, ललितपुर हेतु मै0 ओम मोटर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन को कार्य आवंटित किया गया। नगर निगम, गाजियाबाद हेतु मै0 श्री श्याम एसोसिएट्स को व नगर निगम, अलीगढ़ हेतु मै0 कृति कंस्ट्रक्शन तथा नगर निगम, मथुरा साइट हेतु मै0 ब्लैक बेरी ओवरसीज प्रा0 लिमिटेड को कार्य आवंटित किया गया।

2. राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उपर्युक्त चयनित फर्मो द्वारा स्वयं को उक्त दर और प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्तर पर इम्पैनल किये जाने की भी इच्छा जाहिर की गयी है, जिससे कि राज्य के अन्य नगरीय निकाय यदि उक्त शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुरूप उपरोक्त कार्य (लिगेसी वेस्ट का निस्तारण) इन फर्मो से कराना चाहें तो सहजाता रहे।

उपर्युक्त के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि उक्त चयनित सभी फर्मों द्वारा कम से कम तीन माह तक संतोषजनक रूप से वर्तमान में आवंटित साइट पर संतोषप्रद कार्य कर डिमोन्स्ट्रेट करने के बाद ही उन्हें राज्य स्तर पर फर्म के रूप में इम्पैनल किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3. **परियोजनाओं का वित्त पोषण–** Legacy Solid Waste के निस्तारण हेतु प्रत्येक संबंधित निकाय, फर्म और सी0एण्डडी0एस0 के मध्य त्रिपक्षीय अनुबन्ध किया जाये, जिसमें यह प्राविधानित किया जाए निगम/निकाय द्वारा परियोजना पर आने वाला व्यय का वहन केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/निकाय की अपनी आय की धनराशि से सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना के गुणवत्तापूर्वक कियान्वयन हेतु थर्ड पार्टी के रूप में सी0एण्डडी0एस0 द्वारा कार्य किये जाने के दृष्टिगत सेन्टेज के स्थान पर परियोजना पर होने वाले व्यय को 5 प्रतिशत तक की सीमा तक प्रशासनिक

व्यय के रूप में, सी0एण्डडी0एस0 को मानिटरिंग हेतु उपलब्ध कराया जाए, जिससे न केवल भौतिक रूप से बल्कि सूचना तकनीक के माध्यम से सी0एण्डडी0एस0 द्वारा उपरोक्त परियोजनाओं पर थर्ड पार्टी मानीटर्स के रूप में तकनीकी रूप से अनुश्रवण किया जा सके।

उक्तानुसार निदेशक, सीएण्डडीएस द्वारा निकायवार चयनित संस्था के मध्य एम0ओ0यू0 / अनुबन्ध पत्र का ड्राफ्ट तैयार कराकर संबंधित तथ्यों को अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित करते हुए कार्य कराना सुनिश्चित करे।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन,
नगर विकास अनुभाग–5
संख्या–3624 / नौ–5–2020–235सा / 2019
लखनऊः दिनांक 26 अगस्त, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मिशन निदेशक(अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय, उ.प्र.।
2– प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
3– निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4– निदेशक, सीएण्डडीएस, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
5– बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारी।
6– कम्प्यूटर सेल–नगर विकास अनुभाग–5 की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव

नगरीय ठोस अपशिष्ट डम्पिंग ग्राउण्ड,, नगला कोल्हू, यमुना पार, लक्ष्मी नगर, मथुरा के निरीक्षण दिनांक 23.07.2020 के फोटोग्राफ

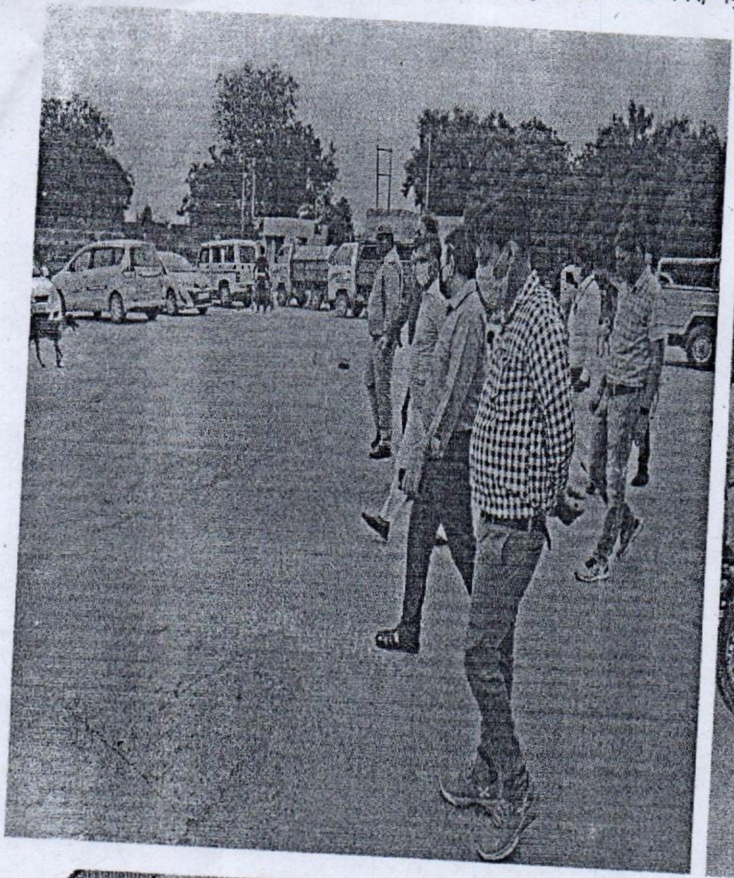

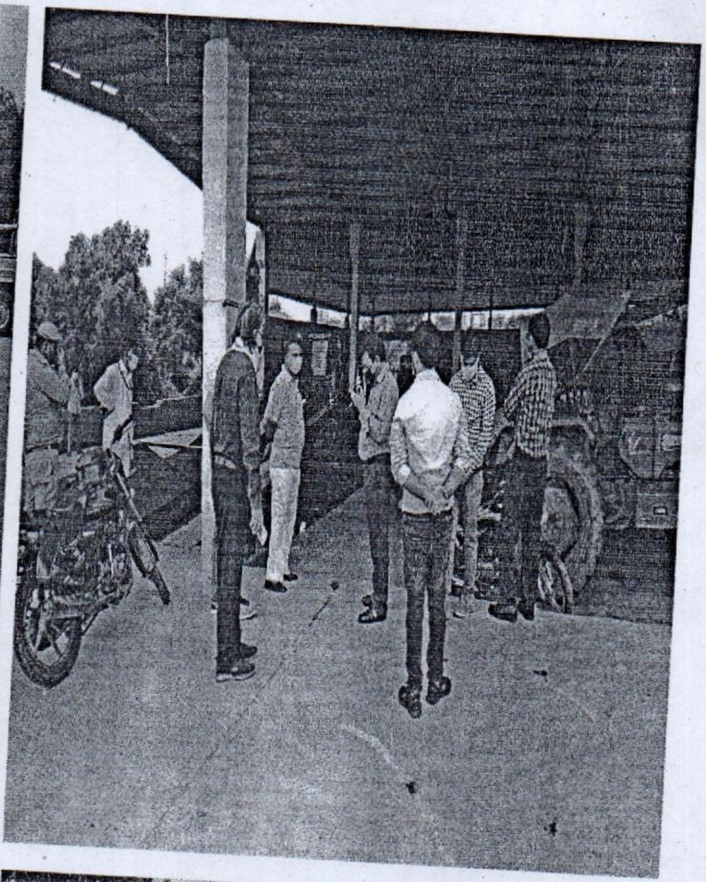

Annexure 01

सलग्नक – (1)

...te Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pra...

Directorate of Environmen...
Dr. Bhim Rao Ambedkar Paryavaran Pari...
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow-...
Phone: 91-522-2300541, Fax: 91-522-2...
E-mail: up.seiaa@yahoo.com

Ref. No. 438/SEAC/208/2008

Date 2/3/2009

To,

Shri V.P. Singh,
General Manager,
Construction and Design Services,
U.P. Jal Nigam, 2, Lal Bahadur Shashtri Marg,
Lucknow-226001.

Sub.: Regarding Environmental Clearance for Solid Waste Management Scheme in Mathura.

Dear Sir,

Please refer to your letter No. 227/G-2-07/26 dated 24/05/2008 addressed to the Member Secretary, State Level Environment Impact Assessment Authority, UP and letter no. 304/G-2-10/01 dated 30-06-08 addressed to the Director, Directorate of Environment on the subject as above. The State Level Expert Committee has considered your application and has been given to understand that:

(1) The Environmental clearance is sought for development of sanitary land fill and composting at near S.T.P, Baldev Road, Tehsil Mathura, District-Mathura.
(2) The proposed project is spread over an area of 27 acres.
(3) The proposed compost plant will be designed to process 100 TPD of *Municipal Solid Wastes*
(4) During the presentation the *project* proponent made a detailed presentation on the Environmental Impact of the project, response to the Additional Terms of References provided to the project proponent, compliance to the Municipal Solid Waste Handling Rules, 2000 and the Environment Management Plan.
(5) All the recommendations made in the Environment Impact Assessment Report must necessarily be implemented and the project should comply fully with the Municipal Solid Waste Handling Rules, 2000.

Based on the recommendations of the State Level Expert Committee the State Level Environment Impact Assessment Authority has decided to grant the Environmental Clearance to the project to the effective implementation of the following conditions:

a. **General Conditions:**

1. It should be clearly specified that the project proponent would ensure that all the standards related to ambient air quality and emission/effluent standards as prescribed by MoEf are strictly complied with.
2. The project proponent will have to ensure that they obtain No Objection certificate from the U.P. Pollution Control Board before start of construction.
3. The proposed land use should be in accordance to the prescribed land use.
4. Proper operation & maintenance of the project shall be ensured after construction phase. Conditions and guidelines for operation and penalties for non-compliance should be specifically prescribed.

5. Information with respect to this clearance & other related documents shall be communicated by the project proponents to the concerned agencies (other than SEIAA and SEAC) as prescribed in the EIA notification No. SO 1533(E) dated 14/09/2006.
6. In addition to the proposed compensatory plantation (3 Trees planted for every tree cut) it shall be ensured that 33% of total lands in the project areas are planted with shade giving and ecologically friendly trees.
7. A specific waste collection and transportation system should be ensured for conveying the waste scientifically and in a safe manner to the proposed MSW landfill site.
8. Leachate should be collected and disposed in a manner such that it may not contaminate the ground water.
9. The general conditions attached to the list of the proposed activities requiring environmental clearance as given in gazette notification dated 14/09/06 issued by Govt. of India and which read as follows should be strictly complied with -" Any project or activity specified in Category 'B' will be treated as Category A, if located in whole or in part within 10 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972, (ii) Critically Polluted areas as notified by the Central Pollution Control Board from time to time, (iii) Notified Eco-sensitive areas, (iv) inter-State boundaries and international boundaries." Should not be violated." In case of any violation clearance shall be obtained from The Government of India, as prescribed.
10. The standards regarding ground water, ambient air, leachate quality and compost quality shall be duly followed as per Municipal Solid Wastes (M&H) Rules, 2000.
11. A comprehensive EIA shall be undertaken and the environment management plan and detailed project report (DPR) revised accordingly also taking into view the conditions stipulated in this clearance. This report shall be submitted to this authority by March, 2010, failing which this clearance will automatically be cancelled. The comprehensive EIA should address to all the issues raised in the public hearing held on 11/12/2008 to which project proponent were a party. The DPR and the EMP should be suitably revised to incorporate and mitigate the observations/objections made in the public hearing also.
12. The project proponents will set up a separate environmental management cell for effective implementation of the EMP etc. as well as stipulated environmental safeguards under the supervision of a senior experienced executive.
13. A three monthly monitoring report should be submitted to the Authority regarding the implementation of the stipulated conditions.
14. The EIA Authority may stipulate any other conditions or environmental safeguards subsequently, if deemed necessary, which should be complied with.
15. The Authority reserves the right to revoke this clearance if any of the conditions stipulated are not complied with the satisfaction of Authority.
16. Full support should be extended to concerned officers/authorities by the project proponents during their inspection of the project for monitoring purposes by furnishing full details and action plan including action taken reports in respect of mitigative measures and other Environmental protection activities.
17. In the event of a change in project profile or change in the implementation agency, a fresh reference should be made to the Authority prior to change.
18. Regular noise levels should be monitored during construction and operation phase.
19. Specifications regarding selection of landfill site, facilities at the site, specifications for land filling, pollution prevention, water quality monitoring, ambient air quality monitoring, plantation at land fill site, closure of landfill site and post care, leachate treatment and disposal should be strictly in compliance to the provisions of the Municipal Solid Wastes (M&H) Rules, 2000.A report in this regards should be prepared and submitted to the Authority within 3 months.

b. <u>Specific Conditions:</u>

1. As the proximity to the cultural monuments regarded as a sensitive issue, the landfill site should be developed at a safe distance from their boundaries. Landfill site should also be situated at safe distance from human settlements and that a no entry zone be created so that general public does not enter into the area.
2. Boilers will not be used.
3. Green belt should be developed in 33% of the total project area.

4. Suitable conditions for odour control should be imposed. Herbals sanitizer and composting enzymes will be used to minimize odour.
5. All the street lighting should be solar and that CFLs should be used.
6. For the leachate treatment, it has been proposed that mechanical aeration leachate treatment will be followed. Necessary conditions for the sewage treatment should also be imposed.
7. The project proponent will duly follow post clearance monitoring as per Municipal Solid Waste Rules, 2000.
8. The following points may also be considered while making the comprehensive EIA report and this report should be submitted by March, 2010.
9. wind speed and direction changes with time and space depending on the topography and seasons. Wind rose should, therefore be made for each month separately for each sampling site. There should be at least 2 sites in the down wind prominent direction.
10. CO measurement should be made by NDIR and eight hourly average with 98 percentile should be given.
11. Methods used for analysis should be specifically provide.
12. 98 percentile values should be taken into consideration for comparison with standards.
13. Impact of project on quality of life should be given.
14. Leq should be determined from 24 hours days-night data at each site twice a week.

The Authority felt that necessary statutory clearances should be obtained and submitted before start of any construction activity and that if this condition is violated, the clearance shall be automatically deemed to have been cancelled. It should also be insured that approved plans and proposals as per provisions of para-3 of appendix-5 of the notification No S.O. 1533 dated 14/09/2006 are submitted with 03 months of the receipt of this letter failing which the clearance shall be automatically deemed to have been cancelled.

These stipulations would be enforced among others under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Public Liability (Insurance) Act, 1991 and EIA notification, 2006 including amendments and rules made thereafter.

This is to request you to take further necessary action in matter as per provision of Gazette Notification No. S.O. 1533(E) dated 14.09.06 issue by Govt. of India.

(Dr. C.S. Bhatt)
Member Secretary,
SEIAA

Copy for necessary action to:

1. The Principal Secretary, Environment, U.P. Govt., Lucknow.
2. Dr. Nalini Bhatt, Director, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
3. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, (Central Region), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow.
4. The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, PICUP Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow.
5. Administrative Officer, Directorate of Environment for Monitoring and Web Updation.

(Dr. Yashpal Singh)
Secretary, SEAC

Annexure 02

संलग्नक - (2)

प्राप्त
08/04/13

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पिकप भवन, तृतीय तल, बी ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F21528 /सी-4/NOC-675/13 दिनाँक 3-4-13

सेवा में,

मैसर्स मथुरा नगर वेस्ट प्रोसेसिंग कम्पनी,
नगला–कोल्ह रोड, लक्ष्मी नगर,
यमुना पार, तहसील–महावन,
मथुरा

NOC-735
09/04/13

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से पूर्व से कम प्रदूषण [illegible] संबंधी उत्पाद परिवर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन। जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ के अन्तर्गत उद्योग स्थापना से पूर्व सहमति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनाँक–[illegible] को प्राप्त है, का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया तथा कृपया अवगत हों कि [illegible] का पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवम् सामन्य शर्तों (संलग्नक) के [illegible] के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशेष विवरणों [illegible] है ...

(क) [illegible] यमुना [illegible] के नेकर [illegible] लक्ष्मी नगर, यमुना पार
तहसील–महावन, मथुरा

(ख) [illegible]

(ग) मुख्य कच्चे माल : [illegible] 165 टन / दिन।

(ङ.) प्रयुक्त ईंधन : नैचुरल गैस मात्र।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र [illegible] आवश्यक होगा।

२. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु [illegible] नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं [illegible] तक निरंतर प्रेषित करें।

३. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नही करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं [illegible] अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नही करता है [illegible] उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधि[illegible] कार्यवाही की जा सकती है।

४. घरेलू उत्प्रवाह, सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरू[illegible] शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाये।

५. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिये ग[illegible] आदेश की प्रति इस कार्यालय में एक माह में अवश्य प्रस्तुत की जाये।

६. उद्योग में नेचुरल गैस के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के ईंधन का प्रयोग नही किया जाये। यद्यपि ता[illegible] ट्रैपेजियम क्षेत्र में किसी भी नये प्रदूषणकारी श्रोत की स्थापना प्रतिबंधित है। संचालन से पूर्व [illegible] सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

७. उद्योग पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर राज्य बोर्ड को प्रेषित करे।

८. उद्योग से देय जल, वायु सहमति शुल्क सहित जल उपकर का भुगतान किया जाये।

९. प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संचालन से आस पास के क्षेत्रों पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव/कुप्रभाव न पड़े।

१०. नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था का निर्माण कार्य वहाँ के प्रथम सतही भू–जल स्तर से कम से कम दो मीटर ऊँची रखी जाये। जिससे लीचैट आदि उत्प्रवाह के कारण भूजल प्रदूषित न हो पाये।

११. नगरीय अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत प्राधिकार प्राप्त कर ही संचालन किया जाये।

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र आदेश मैसर्स मथुरा नगर वेस्ट प्रोसेसिंग कम्पनी, मथुरा</u>

१२. लोक सुनवायी दिनाँक–११.११.२००८ में इंगित बिन्दुओं व पर्यावरणीय स्वीकृति में इंगित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये व प्रत्येक माह सत्यापित सूचना बोर्ड को प्रेषित की जाये। लीचेट व कूर्ड एवम् संयंत्र वाशिंग उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित कर पुनः प्रयोग में लाया जाये। इस हेतु पूर्ण विवरण १५ दिन में जमा करें।

१३. ट्रायल सहमति प्राप्त कर ही संचालन किया जाये।

१४. उद्योग परिसर के कम से कम ३३ प्रतिशत क्षेत्रफल में उ०प्र०शासन के पत्र दिनाँक–२२.०२.२००५ के अनुपालन में हरित पट्टिका व वृक्षारोपण किया जाये।

15. जल निगम, नगर पालिका परिषद व कम्पनी के बीच हुए समझौतों का पालन किया जाये। एग्रीमेन्ट के क्लाज 6.15 के अनुसार कंम्पनी की प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अनुपालन का दायित्व चिन्हित है। अतः टी०टी०जेड अथॉरिटी से भी आवश्यक अनुमति प्राप्त कर प्रेषित करें।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तो एवम् सामान्य शर्तों का प्रभावी एवम् संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के संबंध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में एक माह तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय,

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं० /एन०ओ०सी० तद्‌दिनाँक :

प्रतिलिपि :

१. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मथुरा।

२. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।

3.4.13

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,

72

कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट,(प्रशासन) मथुरा।

पत्र संख्या 202 /अ0जि0अ0(प्र0)-एसटी/2020 दिनांक 24 जुलाई, 2020

क्षेत्रीय अधिकारी,प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मथुरा।

कृपया जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 953/सोलह-बी/टीएसी-एनजीटी/2020-21 दिनांक 23-07-20 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र संख्या 588/2019 हेम सिंह योग सामजिक कार्यकर्ता पं0 दीनदयाल उपाध्याय विचार मंच बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में परित आदेश दिनांक 14-07-20 के अनुपालन में नगर निगम व ताज ट्रपोजियम क्षेत्रान्तर्गत **नगला कोल्हू** के निकट क्षेत्र में साँलिड वेस्ट के अंतर्गत अनियमित ढंग से कूडे कचरे आदि का निस्तारण किये जाने प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण करने हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया गया है:-

1- नगर आयुक्त,मथुरा-वृन्दावन
2- अपर जिलाधिकारी,प्रशासन मथुरा
3- क्षेत्रीय अधिकारी,प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी

तत्क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त प्रकरण में मौके का स्थलीय निरीक्षण कर 10 दिन के अन्दर आख्या मांगी गयी है। अतः आप नगर आयुक्त,मथुरा से संपर्क कर **तिथि एवं समय** निर्धारित करा कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। ताकि संयुक्त निरीक्षण कर आख्या समयांतर्गत भेजी जा सके।

(सतीश कुमार त्रिपाठी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,(प्रशासन)
मथुरा

प्रतिलिपि :- नगर आयुक्त,नगर निगम मथुरा-वृन्दावन मथुरा को सूचनार्थ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट,(प्रशासन)
मथुरा

<u>नगर आयुक्त महोदय,</u>

लीगेसी वेस्ट प्रसंस्करण, मॉट रोड ट्रचिंग ग्राउण्ड निरीक्षण रिपोर्ट

कृपया अवगत कराना है, कि मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–136/2015 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2019 एवं 25.02.2020 के अनुपालन में आपके आदेश संख्या–1337/एस0टी0/2020 दिनांक 19.02.2020 के द्वारा वृन्दावन क्षेत्र में मॉट रोड़ ट्रचिंग ग्राउण्ड पर एकत्रित लीगेसी वेस्ट प्रसंस्करण कार्य के निरीक्षण एवं प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु समिति का गठन किया गया है। आपके आदेश संख्या–1252/एस0टी0/2019–20 दिनांक 01.02.2020 के क्रम में गठित कमेटी द्वारा लीगेसी वेस्ट की गणना की गयी थी, जो लगभग 11,259.95 मैट्रिक टन है।

तत्क्रम में समिति द्वारा दिनांक 28.06.2020 को वृन्दावन क्षेत्र के मॉट रोड़ स्थित ट्रंचिग ग्राउण्ड की लीगेसी वेस्ट प्रसंस्करण कार्य का निरीक्षण किया गया, जिसकी आख्या निम्नानुसार है :–

<u>लीगेसी वेस्ट प्लॉट मशीनरी स्थापना :–</u>

वृन्दावन क्षेत्र में मॉट रोड़ स्थित ट्रचिंग ग्राउण्ड में 150 टन प्रतिदिन की क्षमता की 02 मशीनों से 02 पालियों में (प्रातः 06 से दोपहर 12 बजे एवं सांय 04 से रात्रि 09 बजे तक) प्रोसेसिंग कार्य कराया गया है, जिसमें बाइब्रेटिंग स्क्रीन 100 एम.एम. एवं 26 एम.एम. की लगायी गयी है।

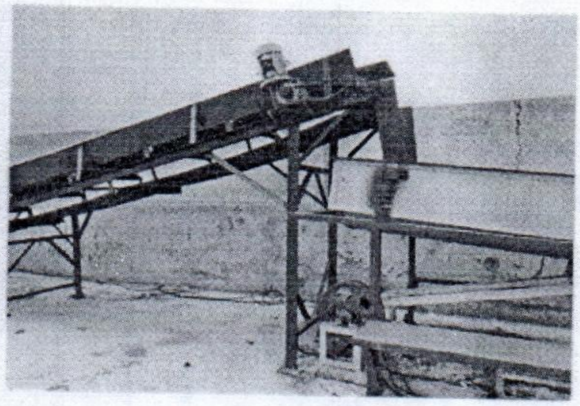

(प्लांट पर उपलब्ध मशीनरी)

<u>वेस्ट सैग्रीगेशन :–</u>

प्लांट मैनेजर श्री राजीव सक्सैना द्वारा अवगत कराया गया है कि, कूडे का सैग्रिगेशन 100 एम0एम0 एवं 26 एम0एम0 के ट्रॉमेल के माध्यम से कराया गया है तथा प्रतिदिन लगभग 150 टन कूडे का सैग्रिगेशन किया गया है, जिसमें लगभग 64 टन आर0डी0एफ0, 50 टन इनर्ट निकला है। 26 एम0एम0 के सैग्रिगेशन के बाद कूड़ा को 04 एम0एम0 के ट्रॉमिल के माध्यम से लगभग 28 टन प्रतिदिन खाद बनाया गया है। यह भी अवगत कराया गया है, कि कुल लगभग 11,259 टन लीगेसी वेस्ट का निस्तारण किया गया है, जिसमें लगभग 5066 टन आर0डी0एफ0 3940 टन इनर्ट मैटेरियल एवं 2251 टन कम्पोस्टिंग मैटेरियल प्राप्त हुआ है।

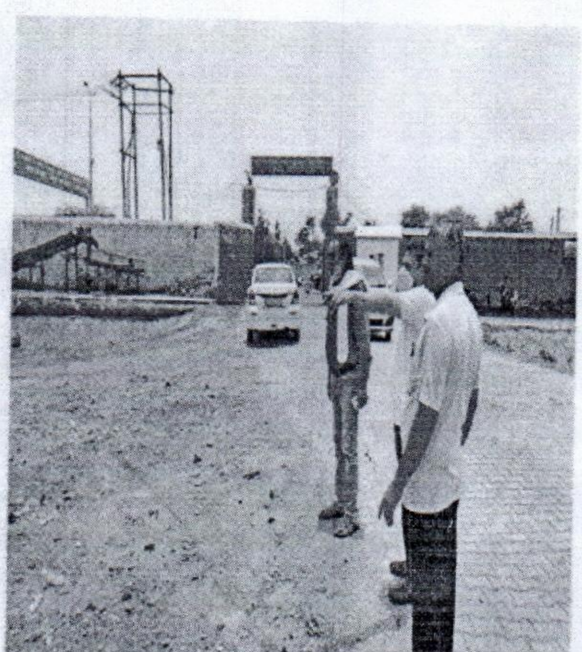

(प्लांट का निरीक्षण करते हुए)

प्लांट मैनेजर श्री राजीव सक्सैना द्वारा यह भी अवगत कराया गया है, कि आर0डी0एफ0 एवं इनर्ट का निस्तारण पाथ्या एन0जी0ओ0, जो कि यू0एन0डी0पी0 द्वारा नामित संस्था है, के द्वारा सीमेंट फैक्ट्री तक पहुँचाया गया है एवं कम्पोस्ट को पार्कों में एवं स्थानीय व्यक्तियों को उपलब्ध कराया गया है।

(प्लांट के बडे खाली पडे ट्रन्च)

(प्लांट का निरीक्षण करते हुए)

वर्तमान में उक्त ट्रंचिंग ग्राउंड लीगेसी वेस्ट मुक्त है। प्लांट पर एकत्रित समस्त लीगेसी वेस्ट का निस्तारण करा दिया गया है।

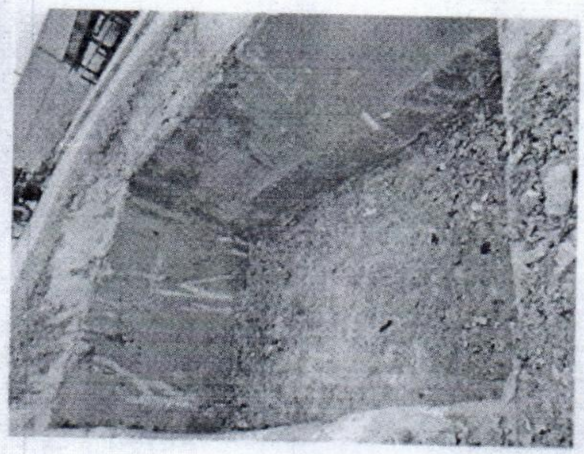

(प्लांट के खाली पडे ट्रन्च)

30/6/2020

(एस0एस0 यादव)
क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन,
मथुरा

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मथुरा

(सत्येन्द्र कुमार तिवारी)
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन,
मथुरा।

मा0एन0जी0टी0 प्रकरण / समयबद्ध

कार्यालय जिलाधिकारी मथुरा।

संख्या953 / सोलह–बी / टी0ए0सी0–एन0जी0टी0 / 2020–21 दिनांक23/7जुलाई,2020

कार्यालय ज्ञाप

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0 588 / 2019 हेमसिंह योग,सामाजिक कार्यकर्ता,पं0दीनदयाल उपाध्याय विचार मंच बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 14.07.2020 के अनुपालन में नगर निगम व ताज ट्रपोजियम क्षेत्रान्तर्गत नगला कोल्हू के निकट क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट के अन्तर्गत अनियमित ढंग से कूड़े कचरे आदि का निस्तारण किये जाने प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण करने हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है :–

1– नगर आयुक्त, मथुरा–वृन्दावन।
2– अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) मथुरा।
3– क्षेत्रीय अधिकारी,प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी

उपरोक्त गठित समिति सदस्यों से अपेक्षा है कि मा0एन0जी0टी0के उक्त आदेश के अनुपालन में मौके का स्थलीय निरीक्षण कर 10 दिन में अपनी संयुक्त रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मा0एन0जी0टी0 द्वारा प्रकरण में प्रदूषण विभाग को नोडल के रूप में नामित किया गया है, जो कि मा0 एन0जी0टी0 में ससमय तदनुसार जबाव दाखिल करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(सर्वज्ञ राम मिश्र)
जिलाधिकारी
मथुरा।

ANA
के · मा· NGT के आदेश के अनुपालन में समयान्तर्गत निरीक्षणोपरान्त ससमय उत्तर प्रेषित कराना सुनिश्चित करायें।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु ।
1– नगर आयुक्त, मथुरा–वृन्दावन मथुरा को आ0का0हेतु।
2– अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0) / प्रशासन, मथुरा।
3– क्षेत्रीय अधिकारी,प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी
मथुरा।

नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन
मथुरा

Shot on vivo S1
AI Triple Camera

(02)

Aayushi Hygiene And Care Pvt. Ltd.

C-93, Mahavir Vihar, Sector-1 Dwarka, New Delhi-110045
Mob. : 7982602342 E-mail : aayushihygienecare2017@gmail.com
MSME No. DL10D0009047, ISO No. 9001:2015

Ref No. .... Date : .... Date 30.07.2020

To,
The Commissioner,
Nagar Nigam Mathura Vrindavan,
Mathura, (U.P.)

Subject:-Plant & Machinery Repairing of

Reference:MSW Garbage to Compost Plant Situated at Laxmi Nagar, Mathura

Sir,

With due respect we may be aloowed to state that we have visited the above refereed paint. Our observation followed by our quotation for the work appended blow:

1.Pre segregation Section:

	Particular's	Quantity	Rate in Rs	Amount in Rs
a.	RDF Shredding Machine Repairs	01 No.	150000/-	150000/- ✓
b.	CND Machine Reapirs	01 No.	150000/-	150000/- ✓
c.	Trammel 100mm Repairs	01 No	75000/-	75000/- ✓
d.	Conveyor Repairs per running meters	63 Meters	5000	315000/- ✓

690,000

2.Screening and Refining Section:

	Particular's	Quantity	Rate in Rs	Amount in Rs
a.	Trammel-35mm,16mm Repairs	02 Nos	75000/-	150000/- ✓
b.	Conveyor Repairs per running meter	68 Meters	7500/-	510000/- ✓

660,000

3.Compost refining and Dust Removing Section

	Particular's	Quantity	Rate in Rs	Amount in Rs
a.	Dismantling of bucket Elevator	01 No.	30000/-	30000/- ✓
b.	Installation & Fabrication new conveyor per running meter	15meters	28200/-	423000/- ✓
c.	Trammel-04 mm Repairs	01 No.	75000/-	75000/- ✓
d.	Conveyors Repairs per running meter	16 meter	7500/-	120000/- ✓
e.	Cyclone Section Repairs	01 No.	100000/-	100000/- ✓

[redacted] Rajeev. Total Amount including GST 2098000/- ✓

We are looking forward for your valuable order plese.

Rajeev

Thanks & Regards

Authosrised Signature

Aayushi Hygiene & Care Pvt. Ltd. New Delhi

Rajeev

निधि का नाम..... Pfc

Tax Invoice बाउचर संख्या 138 (ORIGINAL FOR RECIPIENT)

चेक संख्या एवं दिनांक 31/7/20

AAYUSHI HYGIENE AND CARE P.V.T L.T.D C-93, MAHAVIR VIHAR, SECTOR-1, DWARKA, NEW DELHI-110045 GSTIN/UIN: 07AANCA7899P1ZF State Name : Delhi, Code : 07	Invoice No. 26	Dated 30-Jul-2020
	Delivery Note	Mode/Terms of Payment Rtgs/Cheque
	Supplier's Ref. 26	Other Reference(s)
Buyer Nagar Nigam Mathura, Vrindavan Nagar Nigam Mathura, Vrindavan State Name : Uttar Pradesh, Code : 09	Buyer's Order No.	Dated
	Despatch Document No.	Delivery Note Date
	Despatched through	Destination
	Terms of Delivery Monthly	

Sl No.	Description of Services	HSN/SAC	Quantity	Rate	per	Amount
1	SWM Plant & Machinery Repairing Work at Yamunapar	9987				17,77,966.00
	Output IGST@18%			18	%	3,20,033.88
	ROUND OFF					0.12
	Total					₹ 20,98,000.00

बिल सत्यापन कार्य सत्यापित किया हुआ।
बिल भुगतान को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

30/7/2020

(पी० पी० सिंह) राजेश कुमार सहायक अभियन्ता सहायक ... नगर निगम मथुरा वृन्दावन

Amount Chargeable (in words)

E. & O.E

INR Twenty Lakh Ninety Eight Thousand Only

HSN/SAC	Taxable Value	Integrated Tax Rate	Integrated Tax Amount	Total Tax Amount
9987	17,77,966.00	18%	3,20,033.88	3,20,033.88
Total	17,77,966.00		3,20,033.88	3,20,033.88

Tax Amount (in words) : INR Three Lakh Twenty Thousand Thirty Three and Eighty Eight paise Only

Remarks:
Being Invoice No.26.

Company's PAN : AANCA7899P

Declaration
This entity is registered under MSME Act 2006 vide UAM No.DL10D0009047 as Micro/Small/Medium enterprises. Pursuant to MSME Act 2006, payment to MSME has to be made as per the agreement executed between both the parties (which should not exceed 45 Days) or within 45 days. Delay in payment will call for compound interest shall be levied at three times of the Bank Rate notified by RBI.

Company's Bank Details
Bank Name : ALLAHABAD BANK
A/c No. : 50345657905
Branch & IFS Code: DELHI CANTT & ALLA0212733

for AAYUSHI HYGIENE AND CARE P.V.T L.T.D

Aayushi Hygiene and Care Pvt. Ltd. New Delhi

Authorised Signatory

SUBJECT TO DELHI JURISDICTION

This is a Computer Generated Invoice

Bill 2098000
GST 35560
... 35560
IT 20980
2005900

भुगतान करें रू० 20,98,000/-

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

नगर आयुक्त

नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

Item No. 10 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

(By Video Conferencing)

Original Application No. 588/2019

Hem Singh Yog, Social Worker, Pt. Deendayal Upadhyay Vichar Manch Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh Respondent(s)

Date of hearing: 14.07.2020

D.M./COLLECTOR
MATHURA
17/07/2020

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE S. P. WANGDI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. SATYAWAN SINGH GARBYAL, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

Respondent: Mr. Daleep Dhyani, Advocate for UPPCB

ORDER

A factual and action taken report was sought from the District Magistrate, Mathura, Municipal Council Mathura and UP State PCB with reference to the allegation of unscientific legacy waste dumped near Nagla *Kolhu* in Mathura Municipal Council/TTZ area. Further allegation of the applicant is that polluting activities include industries, apart from other sources, affecting about 1.25 lakh inhabitants and activities of producing fuel from the plastic are also being undertaken.

Accordingly, a report has been field on 10.12.2019 by the Joint Committee to the effect that there is proposal to improve the situation. Since the report was filed six months back, it is necessary to ascertain the current status of compliance and reasons for inaction. Mere proposal

for improvement in future is no defence for violation of statutory rules which is a criminal offence and breach of Constitutional obligation of providing clean environment by the local and the State authorities. In any case, long time has passed and prompt measures must be ensured failing which the Tribunal may have to fix individual liability of the erring authorities and direct coercive measures for their continued failure.

Let the Committee constituted by this Tribunal with UP State PCB being the Nodal Agency furnish a report in the matter before the next date by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List for further consideration on 30.09.2020

Adarsh Kumar Goel, CP

S. P. Wangdi, JM

Dr. Satyawan Singh Garbyal, EM

Dr. Nagin Nanda, EM

July 14, 2020
Original Application No. 588/2019
A